



प्रेसनोट / सराहनीय कार्य

(पत्रांक-254/2021 दिनांक 14.09.2021)

दिनांक- 14.09.2021 को जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा किया गया सराहनीय कार्य-

13 वर्षीय बालक को वार कर घायल करने वाला आरोपी किया गया गिरफ्तार-

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 14.09.2021 को थाना जटहांबाजार पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 115/2021 धारा 307 IPC से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त सुवाष अंसारी पुत्र स्व0 हदीश अंसारी सा0 पुर्नहा मिश्र थाना जटहाँ बाजार जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर अभियुक्त के निशादेही पर एक अदद बकुआ बरामद किया गया । बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1.सुवाष अंसारी पुत्र स्व0 हदीश अंसारी सा0 पुर्नहा मिश्र थाना जटहाँ बाजार जनपद कुशीनगर

विवरण बरामदगी-

एक अदद हमला करने वाला औजार (बकुआ)

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

- 1.SO श्री नन्दा प्रसाद थाना जटहाँ बाजार जनपद कुशीनगर
2. उ0नि0 श्री रनवीर सिंह थाना जटहाँ बाजार जनपद कुशीनगर
- 3.हे0का0 महेन्द्र यादव थाना जटहाँ बाजार जनपद कुशीनगर
- 4.का0 आयुष यादव थाना जटहाँ बाजार जनपद कुशीनगर
- 5.का0 नीरज गोंड थाना जटहाँ बाजार जनपद कुशीनगर

अवैध शराब ब्रिकी/परिवहन/निष्कर्षण के विरुद्ध कार्यवाही-(03)

थाना हाटा-

थाना हाटा पुलिस टीम द्वारा एक नफर अभियुक्त राकेश पुत्र सन्तलाल साकिन सेमरी महेशपुर थाना को0 हाटा जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर अन्तर्गत मु0अ0सं0-421/21 धारा 60 आबकारी अधिनियम में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

थाना खड्डा-

थाना खड्डा पुलिस टीम द्वारा 02 नफर अभियुक्तों 1. किशोर पुत्र सुखराज, 2.संत पुत्र बल्ला साकिनान बुढवा जंगल थाना खड्डा जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 10-10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर क्रमशः अन्तर्गत मु0अ0सं0-201/21, 202/21 धारा 60 आबकारी अधिनियम में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पशु कूरता अधिनियम में की गयी कार्यवाही-(02)

थाना तरयासुजान-

थाना तरयासुजान पुलिस 02 अभियुक्तों सुमित पुत्र सुभाष साकिन गदनपुर बिहार खास थाना जहांगीरगंज अम्बेडकरनगर, 2.राजन पाण्डेय पुत्र विभूति नारायण साकिन सई थाना उरूवा बाजार जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार कर मौके से 02 वाहन से 07 राशि जिवित गोवंश गाय, 04 राशि बछडा व 01 राशि मृत गोवंश बरामद कर अन्तर्गत मु0अ0सं0 334/2021 धारा 3/5ए/8 गोबध निवारण अधिनियम, 11 पशु कूरता धिनियम व 427 भा0द0वि0 में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा शान्ति भंग में की गयी निरोधात्मक कार्यवाही-

जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा नफर 18 अभियुक्तों को शान्ति भंग में गिरफ्तार कर धारा 151 सीआरपीसी के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।

कार्यवाही एक नजर में =

- 1.मोटर वाहन अधिनियम में की गयी कार्यवाही-सीज-0, ई-चालान- 97 वाहन।
- 2.107/116 में की गयी कार्यवाही-मु0-31, व्यक्ति-105
- 3.आबकारी अधिनियम में की गयी कार्यवाही मु0-03, अभि0-03, बरामदगी-30 ली0 अवैध कच्ची
- 4.वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी-(01)
5. पशु क्रूरता अधिनियम में की गयी कार्यवाही-(02)
- 6.जनपद में कुल गिरफ्तारी –(कुल-24)*

मीडिया सेल
जनपद कुशीनगर